दिनांक: 19.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर अभियुक्त गैर हाजिर।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत मामला मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित ई-चालान का वाद है और प्रस्तुत मामला संक्षिप्त मामलों के विचारण से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने परिपत्र सं० - 52/2006 दिनांकित 15/11/2006 में यह निर्देशित किया गया है कि यदि पुलिस तंत्र अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 258 जैसे प्रावधानों पर भरोसा करते हुए मामले का फैसला करने के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त विचारण से संबंधित है तथा सन् 2022 से लंबित है। अभियुक्त की हाजिरी हेतु पूर्व में आदेशिकाएं जारी की जा चुकी हैं, किन्तु पुलिस द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नही कराई जा सकी है। ऐसे में मात्र अभियुक्त की उपस्थिति हेतु मामले को अनंतकाल तक लंबित नही रखा जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उक्त परिपत्र के अनुपालन में प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही धारा 258 दं०प्र०सं०/281 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत रोका जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वर्तमान मामले की कार्यवाही धारा 258 दं०प्र०सं०/281 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत रोकी जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(ईशा कन्सल)
सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी०,
महिलाओं के विरुद्ध अपराध,
सहारनपुर।
JO Code- UP4621